न्यायालय श्रीमान जे0एम0एफ0सी0 महोदय करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

प्र0क0 150/2020 इ0फौ0

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जे0के0 राजौरिया पुत्र तिलकसिंह राजौरिया आयु 49 वर्ष पेशा नौकरी कनिष्ठ वैज्ञानिक प्रभारी जिला शिवपुरी, क्षेत्रीय कार्यालय टैंकर पार्किंग एरिया गेल परिसर विजयपुर गुना जिला गुना---परिवादी

बनाम

1. दिनेश पुत्र स्व0 रामदास गुप्ता (गेडा) आयु 55 वर्ष पेशा व्यापार निवासी ग्राम खोड तहसील पिछोर जिला शिवपुरी हाल निवासी बार्ड क0 30 सत्यदेव नगर गॉधी रोड ग्वालियर म.प्र.
2. श्रीमती सुधा पत्नि दिनेश गुप्ता (गेडा) आयु 50 वर्ष पेशा व्यापार निवासी ग्राम खोड तहसील पिछोर जिला शिवपुरी हाल निवासी बार्ड क0 30 सत्यदेव नगर गॉधी रोड ग्वालियर म.प्र.-----------------------------------आरोपीगण

परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 37 एवं 39 वायु (प्रदूषण निवारण और नियत्रंण) अधिनियम 1981

माननीय महोदय,

सेवा में परिवादी की ओर से परिवाद पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है--

1. यह कि परिवादी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर क्षेत्रीय कार्यालय विजयपुर गुना में पदस्थ है। प्रार्थी/परिवादी के प्रभार क्षेत्र के अन्तर्गत शिवपुरी जिला आता है। प्रार्थी/परिवादी को जिला शिवपुरी के अन्तर्गत आने बाली औधोगिक इकाई के द्वारा किये जाने बाले प्रदूषण को नियंत्रण करने व

Scanned with CamScanner

निरीक्षण कर कार्यवाही हेतु मेरे उक्त बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है जो म प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 21.09.2018 को प्रकाशित किया गया है।

2. यह कि आरोपीगण की एक रजिस्टर्ड फर्म (संस्था) मेसर्स ओशो एसोसियेटस जिसमें दोनो ही आरोपीगण पार्टनर होकर उक्त संस्था के संचालक, मालिक प्रबंधक है उक्त फर्म (संस्था) ने अपने नाम से ग्राम अमोला स्थित सर्वे नं0 4593/ मिन–1 रकबा 1.080 है0 पर एक हॉट मिक्स प्लांट यूनिट की स्थापना की है, जिस सडक निर्माण के उपयोग में किया जाने बाला गिट्टी मिक्स डामर तैयार किया जा है उक्त गिट्टी मिक्स डामर तैयार किये जाने हेतु जो युनिट संचालित की जा र है, उसके संचालन हेतु करीब 30 व्यक्तियों का स्टॉफ उक्त प्लांट में कार्यरत है।

3. यह कि जब उक्त हॉट मिक्स प्लांट चालू किया जाता है तो उसकी चिमनी में काला धुँआ निकलता है, जिससे प्लांट के आस पास का वायु मण्डल (वायुक्षेत्र) का धुँये के कारण प्रदूषित हो जाता है। धुँये के नियंत्रण या उसको कम प्रदूषित कर बाले कोई भी मानक सयंत्र में उपयोग नही किये गये है। निरीक्षण के दौरान मुः परिवादी द्वारा पाया गया कि प्लांट के समीप ही शासकीय माध्यमिक विधालय भव जिसमें बच्चे अध्ययन करने आते है तथा प्लांट से करीब 200 मीटर की दूरी प शासकीय कन्या (अनुसूचित जाति) छात्रावास स्थित है जिसमें बच्चिंया निवास करत है तथा प्लांट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अनुसूचित जाति बस्ती है जहॉ लोग निवासरत है, साथ ही प्लांट के संचालन हेतु कार्यरत कर्मचारियों को शौंच या पेशाब करने की कोई व्यवस्था नही है ऐसे में कर्मचारियों का मलमूत्र भी आसपास खुले म फैलता रहता है उक्त सभी कारणों से आसपास के क्षेत्र में वायू का प्रदूषण मापदण्ड से काफी अधिक मात्रा में फैलता है। प्लांट से निकलता हुआ काला एवं बदबूदार धुँआ आसपास के क्षेत्र में वायु को पूर्ण रूप से प्रदूषित कर रहा है जिससे स्कूल मे पढने बाले बच्चे व छात्रावास में निवास करने बाली बच्चिंया व आसपास स्थित बस्ती में निवास करने बाले व्यक्तियों को वायु प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियो से ग्रस्त होने की पूरी संभावना है तथा बीमारग्रस्त हो रहे है विशेषकर फैंफडो की बीमारी हो रही है उक्त प्लांट के कारण आसपास रहने बाले व्यक्तियों में बीमारी बहुतायत मात्र में फैलने की पूर्ण आंशका है

Scanned with CamScanner

तथा बीमारी महामारी का भी रूप ले सकती है, साथ ही प्लांट के संचालन हेतु डीजल का बडा जनरेटर भी लगा हुआ है वह भी काफी वायु प्रदूषण करता है।

4. यह कि कानूनन वायु का प्रदूषण करने बाली किसी भी औधोगिक इकाई की स्थापना हेतु वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की धारा 21 के तहत वायु प्रदूषण बोर्ड की अनुमति आवश्यक है तथा बिना अनुमति के कोई भी उक्त प्रकार की इकाई स्थापित नही की जा सकती है। मुझ परिवादी द्वारा दिनांक 13.04.19, 20.07.19, 18.12.19 एवं अंतिम बार 24.01.20 को निरीक्षण में वायु प्रदूषण होना पाये जाने के साथ साथ आरोपीगण द्वारा बिना प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के उक्त प्लांट संचालित होना भी पाया गया था क्योकि आरोपीगण द्वारा अपनी उक्त फर्म मेसर्स ओशो एसोसियेटस के नाम से जो अनुमति का आवेदन पत्र दिया गया था वह बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण बिना बोर्ड की अनुमति व बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डो का पालन किये बिना प्लांट का संचालन अपनी निगरानी व नियंत्रण में कर रहे है व करा रहे है।

5. यह कि मुझ परिवादी की रिपोर्ट पर से मुझ परिवादी के क्षेत्रीय अधिकारी महोदय विजयपुर गुना द्वारा आरोपीगण को उनके द्वारा स्थापित किये गये उक्त हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने, स्थापित स्थान से हटाने हेतु दिनांक 20.07.19, 10.10.19 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र भेजे जाने के बावजूद तथा अनुविभागीय अधिकारी करैरा को भी पत्र लिखे जाने के बावजूद आरोपीगण द्वारा न तो प्लांट को बंद किया गया है और न ही हटाया गया है। आरोपीगण लगातार क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के आदेशों का उल्लघंन करते हुये प्लांट का संचालन सतत रूप से जारी रखे हुये है जिससे वायु का प्रदूषण अनवरत् रूप से जारी है जिससे कभी भी स्कूल में पढने बाले व छात्रावास में निवास करने बाले बच्चों को व आसपास के लोगो में फैंफडो की बीमारी या अन्य बीमारी फैल सकती है।

6. यह कि आरोपीगण द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21 व 31क का लगातार उल्लंघन करके प्लांट का संचालन किया जा रहा है जो वि उक्त अधिनियम की धारा 37 व 39 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा माननीय न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

Scanned with CamScanner

7. यह कि आरोपीगण द्वारा हॉट मिक्स प्लांट ग्राम अमोला थाना अमोला के अन्तर्गत स्थापित कर संचालित किया जा रहा है तथा ग्राम अमोला थाना अमोला के अन्तर्गत आता है इस कारण तथा उक्त अधिनियम की धारा 43 के तहत श्रीमान न्यायालय को परिवाद पत्र को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः परिवाद पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि आरोपीगण के विरूद्ध वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 व 39 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपीगण को दण्डित किये जाने की कृपा हो।

दिनांकः– 25.02.2020

प्रार्थी / परिवादी
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कनिष्ठ
वैज्ञानिक जे0के0 राजौरिया पुत्र तिलक सिंह
राजौरिया प्रभारी जिला शिवपुरी क्षेत्रीय
कार्यालय विजयपुर गुना

साक्ष्य सूची परिवादी

1. परिवादी स्वंय
2. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर गुना
3. श्रीमती कल्पना पारस पत्नि बीरेन्द्र पारस अधीक्षिका शासकीय अनुसूचित जाति कन्या जूनियर छात्रावास ग्राम अमोला
4. ओमवती कुशवाह पत्नि सुखबीर कुशवाह प्रधानाध्यापक शा0उ0मा0वि0 अमोला विकास खण्ड करैरा
5. अनिल कुमार पुत्र लालाराम आदिवासी निवासी ग्राम अमोला
6. मानसिंह पुत्र पन्नीराम आदिवासी निवासी ग्राम अमोला
7. दामोदर पुत्र बुद्धाराम आदिवासी निवासी ग्राम अंमोला

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान जे0एम0एफ0सी0 महोदय करैरा जिला शिवपुरी म.प्र

प्र0क0 /2020 इ0फौ0

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जे0के0 राजौरिया ———————————परिवादी

बनाम

दिनेश आदि———————————आरोपीगण

सूची दस्तावेज

1. फोटो प्रति म0प्र0 राज्य पत्र क0 38 तारीखी 21.09.18
2. असल जॉच पंचनामा तारीखी 13.04.19
3. फोटोप्रति निरीक्षण प्रतिवेदन तारीखी 20.07.19
4. फोटोप्रति कारण बताओ नोटिस तारीखी 20.07.19
5. असल औधोगिक इकाई को बंद करने का नोटिस तारीखी 10.10.19
6. असल निरीक्षण प्रतिवेदन तारीखी 18.12.19
7. फोटोप्रति पत्र तारीखी 19.12.19 जो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा को लिखा गया
8. असल जॉच पंचनामा तारीखी 24.01.2020
9. फोटोप्रति पोस्ट ऑफिस की रसीद तारीखी 15.10.19, 24.07.19
10. असल फोटोग्राफ औधोगिक इकाई ओशो एसोसियेटस

~~प्रार्थी / परिवादी~~

दिनांक 25/2/20

प्रार्थी / परिवादी-

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कनिष्ठ वैज्ञानिक जे0के0 राजौरिया पुत्र तिलक सिंह राजौरिया प्रभारी जिला शिवपुरी क्षेत्रीय कार्यालय विजयपुर गुना

क्षेत्र अधि.